बैंक आफ राजस्थान द्वारा श्री संजय गांधी को थैली भेंट करना

3342. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा श्री संजय गांधी की जयपुर यात्रा के दौरान उनको 70,000 रुपए की थैली भेंट करना और युवा कांग्रेस की पत्रिका के लिए विज्ञापनों के रूप में लाखों रुपए का अंशदान देना सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि बैंक आफ राजस्थान द्वारा संजय गांधी को थैली भेंट करने से सम्बन्धित आरोप की बैंक के रिकार्ड में पाई गई सूचना से पुष्टि नहीं होती। रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि यद्यपि बैंक अधिकतर सांस्कृतिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों आदि द्वारा प्रकाशित स्मारिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए छोटी राशियां देता रहा है तथापि यह आरोप कि बैंक ने युवक कांग्रेस की पत्रिकाओं के लिए विज्ञापनों के रूप में लाखों रुपयों का अंशदान दिया है, बैंक के रिकार्ड से सिद्ध नहीं होता।

राजस्थान बैंक में श्री राम विलास गुप्ता की नियुक्ति

3343. **श्री जगदीश माथुर प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम विलास गुप्ता को, जिसे शिवपुर न्यायालय ने एक धोखा धड़ी के मामले में दोषी पाया था, बैंक के नियमों का उल्लघंन करके बैंक आफ राजस्थान की सेवा में लेने के क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : बैंक आफ राजस्थान गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थित एक बैंक है। गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थित बैंकों में होने वाली नियुक्तियों का मामला पूर्णत: बैंक के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

2. अलबत्ता, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि वह श्री राम विलास गुप्ता की नियुक्ति करते समय उनके पूर्व परिचय से अनभिज्ञ था। दिसम्बर, 1975 में, बैंक को पता चला कि श्री राम विलास गुप्ता 3 सितम्बर, 1964 से पहले नगर पालिका शिवपुर कलां, मध्य प्रदेश में नाकेदार के रूप में कार्य करते रहे हैं। उन पर 118.80 रुपये की राशि की हेरा-फेरी का आरोप था तथा उन्हें नौकरी से निलम्बित कर दिया गया था। बाद में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत उन पर फौजदारी न्यायालय में अभियोग चलाया गया। किन्तु वे इस आरोप से बरी कर दिये गये।

3. इसके बाद, श्री राम विलास गुप्ता ने इस घोषणा के लिये नगर पालिका के विरुद्ध दीवानी मुकदमा दायर किया कि वह नगर पालिका की नौकरी में निरन्तर रहे हैं तथा मजदूरी और अन्य लाभों के हकदार हैं। फौजदारी न्यायालय ने यह फैसला दिया कि नगर पालिका ने इस कर्मचारी को पूर्णत: वैध रूप से बर्खास्त किया है और उसके द्वारा दायर मुकदमा समय बाधित (टाइम बार्ड) है। श्री गुप्ता ने निचले न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जिला न्यायाधीश शिवपुर कलां के न्यायालय में अपील दायर की है कि जो कि विचाराधीन है। क्योंकि मामला न्यायालयाधीन है, बैंक ने सूचित किया है कि वे जब अपीली न्यायालय का फैसला प्राप्त होगा तो वह इस पर फिर से विचार करेगा।

बैंक आफ राजस्थान में श्री टी० सी जैन की नियुक्ति

3344. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री टी० सी० जैन को, जिन्हें राजस्थान